



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 8169 वर्ष 2026

श्रीमती प्रिया @ प्रवीनआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं

अन्यप्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: महाबीर यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए. (शासकीय अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री महाबीर यादव, प्रतिपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय सिंह की ओर से बहस कर रहे (holding brief) श्री राम अवतार राय और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (AGA) को सुना गया।
2. प्रस्तुत आवेदन थाना छाता, जनपद मथुरा में पंजीकृत अपराध संख्या 338/2023 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 406, 120B से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 5817/2023 (राज्य बनाम जुर्गेद्र @ जग्गो एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही, साथ ही आरोप पत्र दिनांक 01.12.2023 को निरस्त करने और विद्वान सिविल जज (J.D.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, छाता, मथुरा द्वारा पारित सम्मन आदेश दिनांक 06.12.2023 को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आरोप पत्र के साथ-साथ संज्ञान/सम्मन आदेश और वर्तमान मामले की संपूर्ण कार्यवाही को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य', जो 2024 10 SCC 690 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में स्थापित विधि के सिद्धांत के अनुसार, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 और 406 एक साथ नहीं चल सकती हैं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"38. "हमारी राय में, शिकायत को पढ़ने मात्र से ऊपर बताए गए किसी भी तत्व का पता नहीं चलता है। हम पुलिस और साथ ही निचली अदालतों के मन में कानून की एक गंभीर गलत धारणा को दूर करने के दृष्टिकोण से केवल इतना कह सकते हैं कि यदि शिकायतकर्ता का यह मामला है कि अभियुक्त द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के तहत परिभाषित और धारा 406 के तहत दंडनीय 'अपराधिक विश्वासघात' (criminal breach of trust) का अपराध किया गया है, तो उसी समय (एक ही सांस में) यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 के तहत परिभाषित एवं स्पष्ट की गई और धारा 420 के तहत दंडनीय 'धोखाधड़ी' (cheating) का अपराध भी किया है।"

41. "संविदा के केवल उल्लंघन और आपराधिक विश्वासघात एवं धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म है। धोखाधड़ी के मामले में, प्रलोभन के समय अभियुक्त की मंशा को देखा जाना चाहिए, जिसका आकलन बाद के आचरण से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बाद का आचरण ही एकमात्र परीक्षण नहीं है। संविदा का केवल उल्लंघन तब तक धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता, जब तक कि लेनदेन की शुरुआत से ही, अर्थात् उस समय से जब अपराध किया जाना बताया गया है, धोखाधड़ी या बेईमानी की मंशा न दिखाई गई हो। इसलिए, यह मंशा ही है, जो इस अपराध का मुख्य सार है।"

43. आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के बीच अंतर है। धोखाधड़ी के लिए, गलत या भ्रामक प्रस्तुति देने के समय, यानी शुरुआत से ही आपराधिक मंशा होना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवश्यक है। आपराधिक विश्वासघात में, केवल सुपुर्दगी का प्रमाण ही पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक विश्वासघात के मामले में, अपराधी को कानूनी रूप से संपत्ति सौंपी जाती है, और वह उसका बेईमानी से दुरुपयोग करता है। जबकि, धोखाधड़ी के मामले में, अपराधी किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसे कोई संपत्ति देने के लिए कपटपूर्वक या बेईमानी से प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में, ये दोनों अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते।

55. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को कानून का उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। ये दोनों अपराध स्वतंत्र और विशिष्ट हैं। तथ्यों के एक ही समूह में ये दोनों अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। ये एक-दूसरे के विपरीत हैं। भारतीय दंड संहिता (अब बी.एन.एस., 2023) के ये दो प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना अस्तित्व में न रह सकें।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से मांगी गई राहत का पुरजोर विरोध किया, किंतु वे आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधि के स्थापित सिद्धांतों का खंडन करने में असमर्थ रहे।

5. चूँकि आवेदक की ओर से केवल कानूनी तर्क प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रतिपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को एतद्वारा समाप्त किया जाता है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, मामले के अभिलेखों और दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अवलोकन के बाद, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 दोनों एक साथ नहीं चल सकतीं। अतः वर्तमान मामले के किसी अन्य गुण-दोष पर हस्तक्षेप किए बिना, थाना- छाता, जिला- मथुरा के अपराध संख्या 338/2023 के अंतर्गत धारा 420, 406, 120B IPC से संबंधित आपराधिक वाद संख्या 5817/2023 (राज्य बनाम जुगेंद्र @ जग्गो एवं अन्य) में विद्वान सिविल जज (J.D.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, छाता, मथुरा द्वारा पारित संज्ञान/सम्मन आदेश दिनांक 06.12.2023 को केवल यहाँ प्रस्तुत आवेदक(कों) के संबंध में निरस्त किया जाता है। मामले को एतद्वारा विद्वान सिविल जज (J.D.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



छाता, मथुरा को वापस भेजा जाता है ताकि वे दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, यदि आवश्यक हो, तो अपराध का संज्ञान लेने हेतु नया आदेश पारित करें ।

7. तद्विषय, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

25 मार्च, 2026 शाश्वत

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।